सीएम विंडो का पाखंड

शिकायत करने पर अधिकारियों की चलती है दुकान

शिकायतकर्ता
हेम जैन

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) घोषणावीर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सीएम विंडो आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने के बजाय जुमला ही साबित हो रही है। जांच की औपचारिकता पूरी करने वाले अधिकारी शिकायतकर्ता को ही दोषी बताकर सीएम विंडो समय में निस्तारण करने का अपना रिकॉर्ड बना कर मुख्यमंत्री को गुमराह होने का अवसर प्रदान करते हैं। इस सब के बीच पीड़ित की समस्या बरकरार बनी रहती है और वो न्याय पाने के लिए उन्ही अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर होता है जो पहले ही उसकी शिकायत खारिज कर चुके हैं।

नेहरू ग्राउंड बी ब्लॉक व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां मुख्य डाकघर के पास व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बीच ही कई शीट कटिंग की पावर प्रेस लगी हुई हैं। इन पावर प्रेस के चलने से काफी शोर और ध्वनि प्रदूषण होता है। स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले हेम जैन बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कई दुकानदारों ने उनके साथ सितंबर 2022 में सीएम विंडो पर शिकायत की थी। मामले की जांच एसडीएम बड़खल को सौंपी थी। एसडीएम कार्यालय ने जांच करने में चार महीने निकाल दिए और जनवरी 2023 में गोलमोल आदेश जारी किए जिसमें कोई राहत नहीं मिली। दुकानदारों ने दोबारा पैरवी की तो एसडीएम कार्यालय ने जून 2023 में निर्णय सुनाया कि शिकायत गलत है, ध्वनि प्रदूषण का कोई मामला नहीं है, दुकानदार निजी रंजिश के कारण शिकायत कर रहे हैं।

आदेश से हैरान परेशान हेम जैन ने ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर सीएम विंडो के फैसले के खिलाफ लिखना शुरू किया। काम नहीं लेकिन काम का ढिंढोरा पीटने वाली खट्टर सरकार के सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले अधिकारियों ने सरकार की बदनामी होती देखी तो हेम जैन से संपर्क किया। 26 सितंबर 2023 को उन्हें चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर बुलाया गया। वहां सीएम सेल में बैठे सत्ता के दलाल भूपेश्वर दयाल नाम के अधिकारी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इसके साथ ही दुकानदारों की सीएम विंडो शिकायत दोबारा खोल दी गई। इसके बाद डीसी विक्रम सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीसी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया। यहां समझने की बात केवल इतनी है कि लोहे की शीट काटते वक्त कितना और किस तरह का शोर होता है इसके कभी भी कोई भी अधिकारी आता जाता देख सुन सकता है। इसके लिए कमेटी का नाटक करने की कोई आवश्यकता बनती नहीं है। सीएम विंडो खुले और जांच कमेटी का गठन हुए डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन आज तक न तो किसी ने शिकायतकर्ता से जानकारी ली है और न ही जांच के लिए कोई आया, जाहिर है कि किसी की रुचि समस्या का हल करने में नहीं है। सभी संबंधित अधिकारी शोर मचाने वाले से चुग्गा पानी लेकर निकल लेते हैं।

पावर शीट कटर मशीनों से निकलने वाला शोर आसपास के दुकानदारों के लिए असहनीय होता है। हेम जैन के अनुसार दुकानदार इसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम में भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण होना तो माना लेकिन दुकानदार को नोटिस तक नहीं जारी किया गया।

योग्यता नहीं फिर भी वर्षों से ले रहे पदोन्नति का वेतन

नगर निगम के 24 कर्मचारियों ने नहीं पूरी की पदोन्नति की शर्तें, रिवर्ट करने की मांग उठी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम में काम से लेकर कर्मचारियों की पदोन्नति तक में धांधली जारी है। करीब पांच साल पहले क्लर्क और मीटर रीडर पर पदोन्नत हुए 24 निगम कर्मचारियों ने पदोन्नति की आवश्यक शर्त आज तक पूरी नहीं की हैं। आवाज उठने पर अधिकारी उन्हें नोटिस जारी कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते।

एनआईटी पांच निवासी आकाश चतुर्वेदी के अनुसार प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति के तहत सितंबर 2018 से नवंबर 2021 के बीच नगर निगम के 24 कर्मचारियों को क्लर्क और दो कर्मचारियों को मीटर रीडर पद पर पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति की शर्त यह थी कि इन सबको एक वर्ष के भीतर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रीसिएशन एंड एप्लीकेशन (एसईटीसी) परीक्षा पास कर उसका प्रमाणपत्र दाखिल करना था। एसईटीसी परीक्षा अनुत्तीर्ण होने या एक वर्ष में प्रमाणपत्र दाखिल नहीं करने पर उनको रिवर्ट करने और बढ़े वेतन की रिकवरी का स्पष्ट उल्लेख उनके पदोन्नति आदेश में किया गया था।

बावजूद इसके केवल एक महिला क्लर्क को छोड़ कर आज तक किसी भी कर्मचारी ने एसईटीसी प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है। एक मीटर रीडर तो सेवानिवृत्त भी हो गया।

एनआईटी पांच निवासी आकाश चतुर्वेदी ने बताया कि नियमानुसार इन कर्मचारियों को पदोन्नति का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद रिवर्ट कर देना चाहिए था और इस दौरान का बढ़ा हुआ वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए था लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया।

आकाश ने जनवरी 2023 में सीएम मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और निगमायुक्त से इसकी शिकायत करते हुए मांग की थी कि या तो इन कर्मचारियों को रिवर्ट कर अब तक दिए गए बढ़े वेतन की रिकवरी की जाए या इन लोगों से एसईटीसी सर्टिफिकेट लिया जाए। उनकी शिकायत पर अतिरिक्त आयुक्त की ओर से इन सभी कर्मचारियों 30 जनवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया था कि वे पांच दिन के भीतर अवगत कराएं कि वे लोग एसईटीसी परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं। जवाब नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। आकाश कहते हैं कि नोटिस की भाषा से ही लग गया था कि अतिरिक्त निगमायुक्त सिर्फ औपचारिकता की जा रही है। जिन कर्मचारियों को एक वर्ष के भीतर परीक्षा पास करनी थी तीन से पांच साल बाद उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनसे राय ली जा रही है कि पांच दिन में बताएं क्या करेंगे। हुआ वही, इन कर्मचारियों ने न तो कोई जवाब दिया और न ही आज तक एसईटीसी परीक्षा दी। बढ़े हुए वेतन की रिकवरी तो दूर नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है। खट्टर से लेकर शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय चंडीगढ़ तक सब को इस मामले की जानकारी है बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होना समझा जा सकता है कि सीएम और चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठे उनके चहेते आला अधिकारी कितने ईमानदार हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार का ड्रामा कर रही खट्टर सरकार

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। खट्टर सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को भर्ती करेगी। नौकरी के लिए संघर्षरत हज़ारों टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों को भर्ती करने के बजाय सेवानिवृत्त शिक्षकों की दोबारा तैनाती का यह षणयंत्र संघ-भाजपा के शिक्षा का भगवाकरण करने के एजेंडे से प्रेरित माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री खट्टर प्रदेश में शिक्षा के स्तर सुधारने के प्रति कितने गंभीर हैं इससे समझा जा सकता है कि 2019 में पीजीटी शिक्षकों के लिए निकाले गए 4476 पदों पर आज तक भर्ती नहीं हो पाई है। योग्य उम्मीदवारों की जगह संघ-भाजपा के चहेतों को नौकरी की रेवड़ियां बांटने के लिए सरकार के इशारे पर आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में बार-बार बदलाव किए। इससे परेशान योग्य अभ्यर्थियों ने अप्रैल 2023 में न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने फिलहाल भर्ती पर रोक लगा रखी है। अभ्यर्थियों के हक में कोई कदम उठाने के बजाय सरकार मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का बहाना बना कर चुप है।

टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों को नौकरी तो दी नहीं लेकिन खट्टर ने स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पहले प्रधानमंत्री श्री योजना लागू करने का ढिंढोरा पीटा, इसके बाद मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की घोषणा की।

केवल घोषणाओं से शिक्षा के स्तर में सुधार होने से रहा। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के औसतन पच्चीस फीसदी पद खाली हैं। फरीदाबाद में तो राजकीय स्कूलों में 29.67 फीसदी पद खाली है।

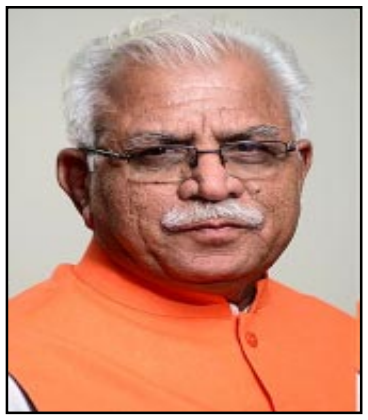

इनमें विज्ञान, गणित समाजशास्त्र, भाषा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं जिनके शिक्षकों के बिना ही सामान्य और मॉडल संस्कृति स्कूलों के छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

जो पद भरे भी हैं उनके शिक्षकों को शिक्षण कार्य के बजाय वोटर लिस्ट तैयार करने, बीएलओ, टीकाकरण में सहयोग, राजकीय या राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की तैयारी व प्रबंधन, जागरूकता रैली आदि जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में जबरन लगाया जाता है।

शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय खट्टर अब सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही दोबारा नौकरी देने की तैयारी कर रही है। संघ-भाजपा के जानकारों के अनुसार खट्टर सरकार इस बहाने पार्टी और संघ समर्थक सेवानिवृत्त शिक्षकों को फायदा पहुंचाने की नीयत से काम कर रही है। केवल उन्हीं सेवानिवृत्त शिक्षकों को दोबारा तैनाती मिलेगी जो अभी तक शिक्षा में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संघ-भाजपा का एजेंडा लागू करते थे, दूसरी विचाराधारा वाले रिटायर्ड शिक्षकों को कुछ नहीं मिलने वाला।

खट्टर सरकार बेरोजगार टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों को स्थायी नौकरी देने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जब भी कोई मुलाजिम भरती होता है तो उसकी रिटायरमेंट की तिथि भी स्पष्ट कर दी जाती है। पिछले नौ साल में खट्टर को ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन कब भर्ती हुआ और कब रिटायर होगा। अगर खट्टर शिक्षकों की भर्ती के प्रति गंभीर होते या उनकी रुचि होती तो रिटायरमेंट से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाती। अब सेवानिवृत्त शिक्षकों का ड्रामा किया जा रहा हैं, बेराजगार शिक्षकों को नहीं भर्ती किया जा रहा।

खंड जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार के अनुसार जिले के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के 4951 पद स्वीकृत हैं, इनमें महज 2824 पर ही स्थायी शिक्षक तैनात हैं। 658 अतिथि शिक्षकों को भी लगाया गया है। बावजूद इसके जिले में 29.67 फीसद यानी 1469 पद खाली हैं। अगले शैक्षणिक सत्र में इन पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों से भरने की तैयारी चल रही है।

सर्वविदित है कि संघ मुस्लिम, ईसाई, वामपंथी और बुद्धिजीवियों की कट्टर विरोधी है। संघ का राजनीतिक विंग कही जाने वाली भाजपा के मुख्यमंत्री खट्टर भी आधुनिक शिक्षा के जरिए समाज में बुद्धिजीवी नहीं बढ़ने देना चाहते इसीलिए आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती में रुचि नहीं ले रहे हैं।